

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21022026-270403
SG-DL-E-21022026-270403

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]	दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 469
No. 54]	DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947	[N. C. T. D. No. 469

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

फा. सं. 8/108/एनसीओआरडी/2023/गृह पुलिस-II/287-300.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंधित प्रशासनिक सचिव को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ "रोधक प्राधिकारी" के रूप में विशेष रूप से सशक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

नितिन पाणिग्राही, उप-सचिव

HOME DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 17th February, 2026

F. No. .8/108/NCORD/2023/HP-II/287-300.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1988, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby specially empowers the Administrative Secretary concerned of the Home Department, Govt. of NCT of Delhi as the “detaining authority” for the purpose of said Section.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
NITIN PANIGRAHI, Dy. Secy.